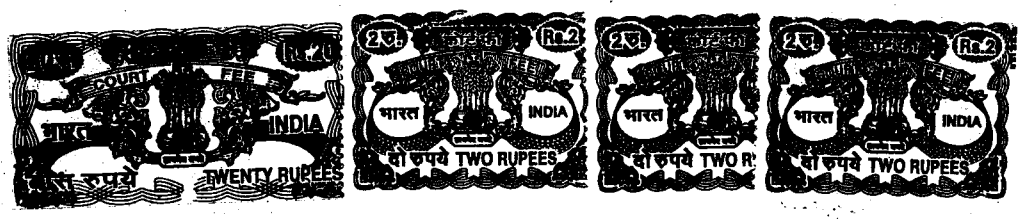

(90)

रा.रा.श्रीमान माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश
ग्वालियर म.प्र.

प्र. 738-PB2-17

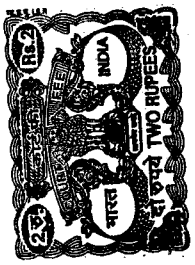

नारायण सिंह पिता रतनसिंह
उम्र :– 78 साल, धंधा :– खेती वृद्धावस्था
नि. :– सिरपुर तहसील व जिला इन्दौर ––– प्रार्थी

विरुद्ध

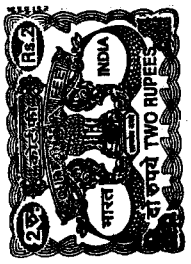

1 – सुलोचना बेवा कल्याण सिंह
उम्र :– वयस्क, धंधा :– गृहकार्य
नि.:– ग्राम सिरपुर तहसील व जिला इन्दौर

2 – रामनिवास पिता रामचन्द्र
उम्र :– वयस्क, धंधा :– खेती
नि.:– ग्राम सिरपुर तहसील व जिला इन्दौर

3 – बाबूलाल पिता रामचन्द्र
उम्र :– वयस्क, धंधा :– खेती
नि.:– ग्राम सिरपुर तहसील व जिला इन्दौर

4 – पटवारी ग्राम सिरपुर ,
तहसील व जिला इन्दौर

5 – राजस्व निरीक्षक ग्राम सिरपुर
तहसील व जिला इन्दौर

6 – पटवारी तहसील इन्दौर (अखिलेश पाठक)

नारायणसिंह 7 – थाना प्रभारी ,पुलिस थाना चंदन नगर
तहसील व जिला इन्दौर

8 – बीट इंचार्ज पुलिस थाना चंदन नगर
तहसील व जिला इन्दौर

9 – ओमप्रकाश पिता गोविन्द्र सिंह सलुजा
उम्र :– वयस्क, धंधा :– व्यापार
नि.:– 511 विष्णुपुरी एनेक्स तहसील व जिला इन्दौर

10 – लालू पिता प्रतापसिंह नागर
उम्र :– वयस्क, धंधा :– व्यापार
नि.:– गणेश नगर खडवा रोड तहसील व जिला इन्दौर

11 – विनोद पिता मोहनलाल कालरा
उम्र :– वयस्क, धंधा :– व्यापार
नि.:– विध्या नगर तहसील व जिला इन्दौर

12 – नवीन पिता मोहनलाल कालरा
उम्र :– वयस्क, धंधा :– व्यापार
नि.:– वीर सावरकर नगर तहसील व जिला इन्दौर

13 – वीना पति विनोद कालरा
उम्र :– वयस्क, धंधा :– गृहकार्य
नि.:– विध्या नगर तहसील व जिला इन्दौर

14 – रितु पति मुकेश राजवानी
उम्र :– वयस्क, धंधा :– गृहकार्य
नि.:– 27 पलसीकर कॉलोनी तहसील व जिला इन्दौर

15 – लक्ष्मीदेवी पति मोहनलाल कालरा
उम्र :– वयस्क, धंधा :– गृहकार्य
नि.:– विध्या नगर तहसील व जिला इन्दौर

16 – शेख मोहम्मद युनुस पिता शेख जमील
उम्र :– वयस्क, धंधा :– कालोनीनाईजर
नि.:– 42 गफुर खॉ की बजारिया इन्दौर

17 – दीवा बी पति एम एस सलीम
उम्र :– वयस्क, धंधा :– गृहकार्य
नि.:– 42 गफुर खॉ की बजारिया इन्दौर

18 – श्रीमति जेरा पति मो. उमर
उम्र :– वयस्क, धंधा :– गृहकार्य
नि.:– 42 गफुर खॉ की बजारिया इन्दौर

19 – रुखसाना पति एम एस अनवर
उम्र :– वयस्क, धंधा :–गृहकार्य
नि.:– 42 गफुर खॉ की बजारिया इन्दौर

20 –एम एस इमरान पिता मो. युनुस
उम्र :– वयस्क, धंधा :– कालोनीनाईजर
नि.:– 42 गफुर खॉ की बजारिया इन्दौर

21 – मो. सलीम पिता मो.युनुस
उम्र :– वयस्क, धंधा :– कालोनीनाईजर
नि.:– 42 गफुर खॉ की बजारिया इन्दौर

22 – सब रजिस्टर्ड (उपपंजीयक) मिश्रा
उपपंजीयक कार्यालय इन्दौर
उम्र :– वयस्क, धंधा :– नौकरी
नि. :– रजिस्ट्री कार्यालय इन्दौर

23 – पटवारी कैलाश राठौर पिता काशीराम राठौर
उम्र :– वयस्क, धंधा :– नौकरी
नि. :– 12 अम्बिकापुरी इन्दौर

24 – राजस्व निरीक्षक नारायण सिहं भाटी
उम्र :– वयस्क, धंधा :– नौकरी
नि. :– अम्बिकापुरी एरोडम रोड इन्दौर

25– तहसीलदार राजकुमार हलधर
उम्र :– वयस्क, धंधा :– नौकरी
नि. :– तत्कालीन नायब तहसीलदार तहसील इन्दौर
कलेक्टर मोती तबेला _____ प्रतिप्रार्थीगण

पूर्नविलोकन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

विद्वान सदस्य महोदय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर पीठासीन श्री एम के सिंह के द्वारा **निगरानी प्र.क्र 569/11/2010** मे प्रार्थी को बिना सुने न सुनवाई का अवसर दिये बिना सुचना के पारित एकपक्षीय प्रोसेडिंग दिं 23/2/2011 ,23/3/2011 व प्रोसेडिंग आदेश दिं 27/4/2011 व **निगरानी प्रकरण क्र 587 /1/2011** मे पारित आदेश दिं 15/6/2011 से असंतुष्ट हो यह पूर्नविलोकन प्रार्थना पत्र निम्न एवं अन्य आधारो पर सादर प्रस्तुत है –

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 738–पीबीआर/17 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–3–2017	आवेदक की ओर से श्री एस0सी0नायक, अभिभाषक, उपस्थित । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–4–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27–4–2011 का अवलोकन किया गया । म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी .। अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाई गई है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	